

न्यायालय :- माखनलाल झोड, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला - बैहर

S.T.No./41/2017  
Filling No. ST/ 96/2017  
CNR MP50050002362017  
संस्थित दिनांक-27.01.2015

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा  
जिला-बालाघाट .....अभियोजन।

// / विरुद्ध // /

दर्शनसिंह पिता सोहन सिंह मसराम, उम्र-24 वर्ष,  
निवासी-ग्राम बघोली थाना व तहसील परसवाड़ा  
जिला-बालाघाट .....अभियुक्त।

=====

श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते अभियोजन।  
श्री छत्रेश गौतम अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-दर्शनसिंह  
=====

### निर्णय

(आज दिनांक 15 फरवरी 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त दर्शनसिंह पर आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.06.2014 के लगभग 02:00 बजे दोपहर में अंतर्गत थाना परसवाड़ा ग्राम बघोली में 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री को उसकी वैधानिक संरक्षक नानी हिरनबाई की विधिपूर्ण संरक्षता से उसकी सम्मति के बिना बघोली से बालाघाट और बालाघाट से गोंदिया तथा गोंदिया से पूना ले जाकर व्यपहरण किया तथा अयुक्त संभोग हेतु विवश या विलुब्ध कर अयुक्त संभोग करने के लिए उत्प्रेरित किया तथा दिनांक 18.06.14 से 17.11.14 की अवधि में अभियोक्त्री को अपने साथ शादी का प्रलोभन देकर उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना उसके साथ बलात्संग कर स्वेच्छया इंद्रिय भोग कर लैंगिक हमला किया।

2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि श्रीमती गंगाबाई (अ.सा. -2), श्रीमति सरिता मर्सकोले (अ.सा.-3), अभियोक्त्री (अ.सा.-4), श्रीमति

हिरनबाई (अ.सा.-5), धनेश्वर (अ.सा.-6), सतिबाई मर्सकोले (अ.सा.-9) का कहना है कि वे आप अभियुक्त को पहचानते हैं, अभियुक्त दर्शन उसके भाई का लड़का है, अभियोक्त्री ग्राम बघोली की रहने वाली है। श्रीमति हिरनबाई (अ.सा.-5) की अभियोक्त्री नातन है, सतिबाई मर्सकोले (अ.सा.-9) ग्राम पंचायत बघोली की सरपंच है। संजय भलावी उप निरीक्षक (अ.सा.-13) ने दिनांक 21.11.14 को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी. 18 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 21.11.14 को आरोपी को मुलाहिजा हेतु प्र.पी. 19 का मुलाहिजा फार्म भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा भेजा गया था।

3. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 18.06.2014 को दोपहर करीब 2:00 बजे ग्राम बघोली पुलिस थाना तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट की हिरनबाई की अवयस्क नातन अभियोक्त्री घर में न मिलने से आसपास पता करने पर भी न मिलने पर दिनांक 20.06.14 को मौखिक सूचना दिए जाने पर थाना परसवाड़ा ने धारा 363 भा.द.वि. के अधीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना लेख कर अपराध क्रमांक 88/14 धारा 363 भा.द.वि. के अधीन कायमी की। दिनांक 17.11.14 को अभियोक्त्री दस्तयाब होने पर दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया, कथन लेख किया गया, चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु सहमति ली गई, पश्चात् आवेदन लेख कर महिला चिकित्सक से परीक्षण कराया गया, सोनोग्राफी कराई गई, सोनोग्राफी रिपोर्ट प्राप्त की गई, द गोषणा पत्र प्राप्त किया गया, गवाहों के कथन लेख किए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण सक्षमता बाबद कराया गया, जप्ती कार्यवाहियां की गई, जप्त संपत्ति परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. सागर भेजी गई, जिसकी पावती दिनांक 02.12.14 संलग्न की गई, नजरीनक्शा, मौकानक्शा तैयार किया गया, आयु संबंधी प्रमाण प्राप्त किए गए, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. धारा-363, 366(क), 376 (1) भा.द.वि. एवं धारा 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का आरोप तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट श्रीमान बी.पी. मरकाम द्वारा तैयार कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध सुन-समझकर अपराध करना अस्वीकार किया। अभिवाक लेख किया गया, धारा-313 द.प्र.सं. के अधीन अभियुक्त व्यक्त किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, पुलिस के कहने पर साक्षीगण असत्य कथन करते हैं।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या दिनांक 18.06.2014 को दोपहर लगभग 02:00 बजे ग्राम बघोली से अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ विवाह करने के आशय से अथवा अयुक्त संभोग करने हेतु व्यपहरण किया ?
2. क्या दिनांक 18.06.2014 से 17.11.2014 की अवधि में अभियुक्त ने अभियोक्त्री का व्यपहरण कर ग्राम बघोली से बालाघाट, गोंदिया, पूना ले जाकर अभियोक्त्री की इच्छा अथवा सहमति के बिना धारा 375 (क) भा.द.वि. में अभिव्यक्त कृत्य कर बार-बार बलात्संग किया ?
3. क्या दिनांक 18.06.2014 से 17.11.2014 की अवधि में अभियुक्त ने अभियोक्त्री का व्यपहरण कर ग्राम बघोली से बालाघाट, गोंदिया, पूना ले जाकर अभियोक्त्री के साथ धारा 3 (क) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अभिव्यक्त कृत्य (अभियोक्त्री की योनि में लिंग प्रवेशन कर) लैंगिक हमला किया ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1, 2 एवं 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष

6. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि उपस्थित अभियुक्त दर्शन सिंह को जानती है उसकी जन्म तारीख अंकसूची के अनुसार 07.05.1998 है। अभियुक्त दर्शन ने साक्षी के साथ

बुरा काम नहीं किया। दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 1 पर ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 3 पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने साक्षी की डॉक्टरी कराई थी, के संबंध में सहमति का पत्र प्र.पी. 4 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की थी। सूचक प्रश्न के उत्तर में पद क्रमांक 2 में इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र.पी. 5 का अ से अ भाग का — “ आज से करीबन — — — शादी करने के लिए तैयार हो गई तथा ब से ब भाग का — “ 5 माह का गर्भ होने से दर्शन ने बुआ के घर रहने के लिए कहा था ” का बयान पुलिस को दिया था। यह स्वीकार किया है कि दर्शन से उसका विवाह हो गया है।

7. इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त दर्शन सिंह से छः माह पूर्व प्रेम संबंध था। यह स्वीकार किया है कि दर्शन सिंह पूना में काम करता था। वह गांव के समलसिंह, राजा वगैरह के साथ पूना मजदूरी के लिए अषाढ़ माह में गई थी। वहां प्रेम संबंध होने के कारण दर्शन सिंह से साक्षी ने विवाह कर लिया था। यह स्वीकार किया है कि दर्शन सिंह के साथ पत्नि के रूप में 6-7 माह रही जिससे गर्भधारण हुआ है। यह इंकार किया है कि पुलिस को अपनी उम्र 17 वर्ष बताई थी। यदि पुलिस ने प्र.पी. 1, प्र. पी. 3, प्र.पी. 4 में उम्र 17 वर्ष लिखी हो तो गलत है। अंत में यह स्वीकार किया है कि वह अपनी मर्जी से खाने कमाने पूना गई थी स्वयं की इच्छा से अभियुक्त दर्शन से विवाह कर यौन संबंध स्थापित किया है।

8. हिरनबाई (अ.सा.-5) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट प्र.पी. 6 प्रकरण में संलग्न है। साक्षी को नातन की जन्म तारीख नहीं मालूम, वर्तमान में साक्षी की नातन 19 साल की है। अभियोक्त्री के आने के पश्चात पुलिस ने पूछताछ की थी। सूचक प्रश्न के उत्तर में प्र.पी. 7 का कथन पुलिस को देना इंकार किया है कि — “ मेरी बड़ी लड़की कुंतीबाई — — — दर्शन का 5 माह का



बच्चा भी है " पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षण में पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री कुंती का विवाह लगभग 24 साल पूर्व हुआ था। विवाह के एक साल बाद बड़ा लड़का धनेश्वर पैदा हुआ। धनेश्वर के पैदा होने के दो साल बाद अभियोक्त्री का जन्म हुआ जो अभी 19-20 साल की है। पद क्रमांक 4 में कथन किया है कि अभियोक्त्री जब 6 साल की हो गई थी तब होलनबाई ने स्कूल में दाखिला कराने ले गई थी। यह स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री और दर्शन सिंह का करीब 6 माह से प्रेम संबंध था। दोनों ने विवाह कर लिया है, प्रेमपूर्वक साथ में रह रहे हैं।

9. धनेश्वर (अ.सा.-6), कंकर मेरावी (अ.सा.-1), गंगाबाई (अ.सा.-2), सरिता (अ.सा.-3), कुलदीप सिंह (अ.सा.-7), सतीबाई (अ.सा.-9), रविन्द्र भलावी (अ.सा.-15), मुरलीधर बिसेन (अ.सा.-17) की संपूर्ण साक्ष्य में विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 के निराकरण हेतु सार्थक साक्ष्य नहीं है इसलिए उसे लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

10. आहिद मोहम्मद शेख (अ.सा.-14) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 21.11.14 को वह शासकीय माध्यमिक शाला बघोली में उ0श्रे0शि0 के पद पर पदस्थ था। तत्समय प्रधान पाठक श्री राजेन्द्र सोनकर द्वारा स्कूल के दाखिल-खारिज रजिस्टर के आधार पर अभियोक्त्री की आयु बाबद प्र.पी. 11 का जन्म प्रमाण पत्र पुलिस को जप्त कराया था, जप्तीपत्र प्र.पी. 20 है जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं, शालेय अभिलेख के आधार पर अभियोक्त्री की जन्म तारीख 05.07.1998 है, असल पंजी साक्षी के आधिपत्य में है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि असल पंजी देखकर जन्म तारीख बाबद बयान दिए हैं। शालेय अभिलेख के अनुसार अभियोक्त्री ने दिनांक 01.04.10 को प्रवेश लिया था उस समय के कर्मचारी को एवं उसकी हस्तलिपि को साक्षी नहीं जानता।

11. डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.-12) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 18.11.14 को वह जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दोपहर 01:03 बजे महिला आरक्षक

योगेश्वरी सूर्यवंशी क्रमांक 1219 थाना परसवाडा ने अभियोक्त्री पिता तेजलाल सोनवाने उम्र 17 वर्ष निवासी बघोली को महिला डॉक्टर धुर्वे के रेफर करने पर साक्षी के पास पेट की सोनोग्राफी कराने के लिए वह लायी थी। परीक्षण करने पर साक्षी ने पाया था कि उसके गर्भ में जीवित गर्भस्थ शिशु है जिसकी गर्भकालीन आयु 19 सप्ताह 2 दिवस है। सोनोग्राफी फिल्म प्र.पी. 15 है, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 16 है जिनके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अभियोक्त्री द्वारा भरा गया घोषणा पत्र प्र.पी. 17 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

**12.** डॉ. रश्मि बाघमारे (अ.सा.-11) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 18.11.14 को वह जिला चिकित्सालय बालाघाट में महिला चिकित्सक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को अभियोक्त्री पिता तेजलाल उम्र 17 वर्ष निवासी बघोली को थाना परसवाडा की महिला आरक्षक योगेश्वरी क्रमांक 1219 को मुलाहिजा हेतु लाया गया था, परीक्षण दौरान अभियोक्त्री ने बताया था कि पिछली माहवारी 26.06.2014 को आयी थी, परीक्षण में पाया था कि उसके पेट का आकार 20 से 22 सप्ताह के गर्भ का था, वह संभोग की अभ्यस्थ थी। वैजाईनल स्लाइड तैयार कर आरक्षक को सौंपी थी। गर्भ की वास्तविक स्थिति के लिए सोनोग्राफी की सलाह दी थी। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 14 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि थाना परसवाडा ने अभियोक्त्री की आयु 17 वर्ष लेख की थी उसी आधार पर साक्षी ने भी 17 वर्ष उम्र लेख की है।

**13.** सुखदेव सिंह धुर्वे (अ.सा.-10) निरीक्षक ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 20.06.14 को थाना परसवाडा जिला बालाघाट में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को हिरनबाई ने थाना आकर उसकी मृत पुत्री कुंतीबाई की लड़की अभियोक्त्री उम्र 14 वर्ष के घर से गुम हो जाने के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी जिसके आधार पर साक्षी ने थाना परसवाडा में अपराध क्रमांक 88/14 धारा 363 भादवि के अधीन प्र.पी. 6 की रिपोर्ट लेख की थी

जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। इस मामले में निरीक्षक उमराव सिंह ने नक्शा मौका प्र.पी. 13 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि हिरनबाई ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय अभियोक्त्री की उम्र नहीं बताई थी। यह इंकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 6 अपने मन से लेख कर ली है।

**14.** संजय भलावी (अ.सा.-13) निरीक्षक ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.11.14 को वह थाना परसवाडा में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। थाना परसवाडा के अपराध क्रमांक 88/14 की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसी दिनांक को प्र.पी. 1 का दस्तयाबी पंचनामा साक्षियों के समक्ष तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। साक्षी के निर्देश पर महिला प्रधान आरक्षक दयावंती ने अभियोक्त्री का बयान लिखा था। अभियोक्त्री का मुलाहिजा फार्म प्र.पी. 14-ए के साथ जिला चिकित्सालय भेजा गया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

**15.** दिनांक 21.11.2014 को साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर प्र.पी. 18 का गिरफ्तारी पत्र तैयार किया था जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त की परिजन को दी थी। अभियोक्त्री के कथन द्वारा 164 द.प्र.सं. के अधीन कराए गए थे। आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए प्र.पी. 19 का फार्म भरकर आरक्षक क्रमांक 1256 के साथ भेजा था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। शासकीय माध्यमिक शाला बघोली से अभियोक्त्री की जन्म तारीख के संबंध में प्र.पी. 11 का प्रमाण पत्र जप्त किया था, जप्ती प्र.पी. 20 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

**16.** इसी साक्षी ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 5 में साक्ष्य दी है कि साक्षी गंगाबाई के पुलिस कथन प्र.पी. 2 का अ से अ भाग का कथन, श्रीमति सतीबाई के पुलिस बयान प्र.पी. 12 का ए से ए भाग का कथन उनके बताएनुसार साक्षी ने लेखबद्ध किया था। एफ.एस.एल. सागर से प्राप्त रिपोर्ट प्र.पी. 22 है, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश

किया था। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि एक्स-रे परीक्षण में अभियोक्त्री की उम्र अधिक होने से एक्स-रे रिपोर्ट जान बूझकर प्रकरण में पेश नहीं की है। यह इंकार किया है कि साक्षीगण ने साक्षी को कोई बयान नहीं दिया था। यह इंकार किया है कि अभियोक्त्री ने अपनी उम्र साक्षी को 20 वर्ष बताई थी। यह इंकार किया है कि सतीबाई ने पुलिस कथन प्र.पी. 12 का ए से ए, बी से बी भाग का कथन साक्षी को नहीं दिया था। यह स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री का धारा 164 द.प्र.सं. के तहत दर्ज किया गया, मामले में संलग्न है।

**17.** बचाव पक्ष की ओर से श्री छत्रेश गौतम अधिवक्ता ने लिखित तर्क पेश कर निवेदन किया कि अभियोक्त्री का आसिफिकेशन टेस्ट नहीं कराया गया है। आसिफिकेशन रिपोर्ट अभिलेख पर पेश नहीं है। अभियोक्त्री का जन्म किस तारीख को हुआ, बाबद प्रमाण अभिलेख पर पेश नहीं है। स्कूल रिकार्ड के साथ उपस्थित गवाह ने प्राथमिक स्कूल में उसका नाम दर्ज नहीं किया है। प्राथमिक शाला में नाम लेखकर्ता कर्मचारी ने किस आधार पर और किस दस्तावेज के आधार पर नाम दर्ज किया है, के बारे में अभिलेख पर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसलिए स्कूल रिकार्ड में लेख जन्म तारीख 05.07.1998 सही है, का कोई आधार नहीं है। अभियोक्त्री ने न्यायालयीन कथन में स्वयं की उम्र 19 वर्ष होना बताई है इसलिए वह घटना दिनांक को वयस्क है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन कोई अपराध घटित होना प्रमाणित नहीं होता है।

**18.** श्री छत्रेश गौतम अधिवक्ता ने लिखित तर्क के साथ म.प्र. राज्य वि. रवि उर्फ रविन्द्र अन्य 1, 2017 (2) ए.एन.जे. म.प्र. 263, स्टेट ऑफ म.प्र. वि. रवि उर्फ रविन्द्र एवं अन्य 1, 2016 (3) क्रिमिनल लॉ जर्नल 838 एम.पी., जोहतराम वि. म.प्र. राज्य 2012 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (छ.ग.) 459, महेश वि. स्टेट ऑफ म.प्र. 2012 क्रिमिनल लॉ रिपोर्ट (म.प्र.) 67 पेश किए, अध्ययन किया गया।



19. म.प्र. राज्य वि. रवि उर्फ रविन्द्र अन्य 1, 2017 (2) ए.एन.जे. म.प्र. 263, स्टेट ऑफ म.प्र. वि. रवि उर्फ रविन्द्र एवं अन्य 1, 2016 (3) किमिनल लॉ जर्नल 838 एम.पी. पेश किया, का अध्ययन किया गया।

20. प्र.पी. 10—सी दाखिल खारिज पंजी की नकल के अनुसार अभियोक्त्री की जन्म तारीख 05.07.1998 दर्ज है जिसका दाखिल दिनांक 01.04.2010 को कक्षा छटवीं में है। इस प्रकार 11 वर्ष 09 माह में वह कक्षा छटवीं में पहुंची थी। इस संदर्भ में श्रीमति हिरनबाई (अ.सा.—5) के प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में लेख कथन कि :— जब आरती लगभग 6 साल की हो गई थी तब साक्षी की ननंद होलनबाई उसे प्राथमिक शाला बघोली के स्कूल में दाखिल करने ले गई थी। इस साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब अभियोक्त्री लगभग 6 वर्ष की हो रही थी तब उसका दाखिला प्राथमिक शाला में कराया गया था, 5 साल के अध्ययन पश्चात् कक्षा छटवीं में दिनांक 01.04.2010 को प्र.पी. 10—सी के दस्तावेज के अनुसार कराया गया था। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य से घटना दिनांक 18.10.2014 को लगभग 16 वर्ष की होना निर्धारित होती है। उपलब्ध साक्ष्य के खंडन में अन्य कोई साक्ष्य न होने से अभियोक्त्री घटना दिनांक को बालक है। अभियुक्त ने धारा 29 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 की विधिक उपधारणा को खंडित करने हेतु अभियोक्त्री के जन्म वर्ष का ग्राम पंचायत के जन्म मृत्यु पंजीयक के अभिलेख को पेश कराकर अभियोक्त्री बालक नहीं है, प्रमाणित नहीं कराया है। अभिलेख पर अभियोक्त्री बालक होना उपलब्ध साक्ष्य से पायी जाती है। पद क्रमांक 19 में लेख न्यायदृष्टांतों के आधार पर इस मामले में अभियोक्त्री की उम्र बाबद आयी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं होती है।

21. जोहतराम वि. म.प्र. राज्य 2012 किमिनल लॉ रिपोर्टर (छ.ग.) 459, महेश वि. स्टेट ऑफ म.प्र. 2012 किमिनल लॉ रिपोर्ट (म.प्र.) 67 पेश किया, का अध्ययन किया गया। इन दोनों न्यायदृष्टांतों की अभियोक्त्री वयस्क थी, इसलिए उसे सहमत पक्षकार माना गया है। इस मामले की अभियोक्त्री बालक है इसलिए उसे

सहमत पक्षकार नहीं माना जा सकता। इन दोनों न्यायदृष्टांतों का लाभ इस अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता है।

**22.** घटना दिनांक को अभियोक्त्री बालक होना पाए जाने के पश्चात् प्र.पी. 6 की प्रथम सूचना के अनुसार अपराध की कायमी हुई है। अभियोक्त्री स्वयं ने अन्य लोगों के साथ स्वयं पूना जाना बताया है। पूना जाने पर अभियुक्त से विवाह कर लेना तथा यौन संबंध स्थापित करना साक्ष्य दी है, का कोई खंडन अभिलेख पर नहीं है। प्र.पी. 14 की एम.एल.सी. दिनांक 18.11.2014 की है। सोनोग्राफी फिल्म प्र.पी. 15 की दिनांक 18.11.2014 की है। सोनोग्राफी रिपोर्ट प्र.पी. 16 दिनांक 18.11.2014 को दोपहर 01:03 बजे की है। अभियोक्त्री को दिनांक 18.11.2014 को 19 सप्ताह 02 दिवस का गर्भवस्थ शिशु होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। दिनांक 18.06.2014 से दिनांक 18.11.2014 के बीच में केवल 5 माह का अंतर है अर्थात् वह परीक्षण दिनांक को वयस्क नहीं है।

**23.** उक्त परिस्थिति में अभियोक्त्री द्वारा विवाह करने की सहमति दिए जाने की उम्र नहीं है, वह बालक है। बालक अवस्था में ही वह दिनांक 18.11.2014 को गर्भवती है जो उसने अभियुक्त से पूना में शारीरिक अथवा यौन संबंध स्थापित करना कथन किया है। इस साक्ष्य का कोई खंडन नहीं है। परिणामतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 अभिलेख पर प्रमाणित है। साथ ही विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 बार-बार यौन संबंध स्थापित किए जाना भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है।

**24.** विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व्यपहरण बाबद् साक्ष्य के अभाव में अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है। आरोपी दर्शन सिंह को धारा 363, 366 (क) भा.द.वि. के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 376 (1) भा.द.वि. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध हेतु दोषसिद्ध पाया जाता है।

25. दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु मामला थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालागाट  
श्रृंखला बैहर

26. अभियुक्त तथा अभियुक्त के अधिवक्ता श्री श्री बी.एल.राणा को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि प्रथम अपराध है। अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच विवाह हो चुका है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है, नवयुवक है। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त दोनों साथ-साथ निवास करते हैं, दोनों का एक छोटा एक बड़ा बच्चा है। नरम रूख अपनाया जाने की याचना की है।

27. राज्य की ओर से कोई उपस्थित न होने से उक्त तर्क का विरोध अभिलेख पर नहीं है।

28. दण्ड पर उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्क को विचार में लिया गया। विचार बाद निम्नानुसार दण्डाज्ञा पारित की जाती है :-

**A-** धारा 376 (1) भा.द.वि. के आरोपित अपराध हेतु **07 वर्ष (सात) वर्ष** के सश्रम कारावास और **1,000/- (एक हजार)** रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को **21 माह का अतिरिक्त कारावास** पृथक से भुगताया जावे।

**B-** धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपित अपराध हेतु **07 वर्ष (सात) वर्ष** के सश्रम कारावास और **1,000/- (एक हजार)** रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को **21 माह का अतिरिक्त कारावास** पृथक से भुगताया जावे।

**C-** दोनों धाराओं की सज़ाएं साथ-साथ भुगताई जावे।

29. अभियुक्त दिनांक 21.11.2014 से 04.03.2015 तक एवं दिनांक 24.04.2017 से दिनांक 14.09.2017 तक अभिरक्षा में रहा है

उसकी कुल न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 08 माह 03 दिवस है जिसे सज़ा में मुजरा किया जावे। धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

30. मामले में जप्तशुदा संपत्ति वैजार्नल स्लाइड, सिमन स्लाइड मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

31. अभियोक्त्री की अभिरक्षा में अभियुक्त से उत्पन्न दो बच्चे हैं। म0प्र0 राज्य की विस्थापित योजना के अधीन अभियोक्त्री और बच्चों को उपयुक्त सुविधा मुहैया कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर इस निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

सही / —  
(माखनलाल झोड़)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला बैहर

सही / —  
(माखनलाल झोड़)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला बैहर